	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 18, शुक्रवार, *शाके* 1942–जनवरी 08, 2021 *Pausa 18, Friday, Saka 1942-January 08, 2021*	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 13, 2020

संख्या प.4(20)कृषि/ग्रुप-2/2016 :-राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम,1961 की धारा 7(1)(ख)(iii), 7(1)(ख)(v) सपठित राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 के नियम 6(क) एवं 6(ख) के तहत कॉलम संख्या (2) में अंकित कृषि उपज मण्डी समिति में कॉलम संख्या 3 में अंकित श्रेणी में कॉलम संख्या 4 में उल्लेखित प्रतिनिधियों को सदस्य मनोनीत किया जाता है-

क्र.सं0	मण्डी समिति का नाम	मनोनयन श्रेणी	मनोनीत सदस्य
1	2	3	4
1	बडौदामेव मण्डी समिति (‘बी‘ श्रेणी)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	श्री लियाकत खान पुत्र श्री याकूब खान, ग्राम जयसिंहपुरा, बडौदामेव
		सहकारी विपणन समिति प्रतिनिधि	श्री जकावत खान पुत्र श्री आस मोहम्मद खान, ग्राम मौजपुर
2	अन्ता मण्डी समिति (‘डी‘ श्रेणी)	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत	श्री ललित गालव, ग्राम सोरखण्ड खुर्द, तह. अन्ता, बारां
		सहकारी विपणन समिति प्रतिनिधि	डॉ. ओम गोस्वामी, ग्राम सहकारी समिति, सोरसन, तह. अन्ता, बारां

राज्यपाल की आज्ञा से,
बृज गुप्ता,
शासन उप सचिव

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।